

भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3946  
(दिनांक 19.03.2021 को उत्तर देने के लिए)

विज्ञापन राजस्व को साझा करना

3946. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने गूगल, फेसबुक आदि टेक्नो कंपनियों के साथ विज्ञापन राजस्व साझा करने संबंधी भारतीय समाचार पत्र सोसायटी (आई एन एस) की माँग का समर्थन किया है ताकि भारतीय समाचार पत्रों को उनकी सामग्री का उपयोग करने के लिए भरपाई की जा सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार को वैश्विक प्रचलन की तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित भारतीय समाचारों के लिए ऐसी कंपनियों से राजस्व प्राप्त होता है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई कानून लाने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले पर सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और  
लोक उद्यम मंत्री  
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): सरकार द्वारा ऐसी किसी मांग का समर्थन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): सरकार प्रकाशन उद्योग के लिए लागू दरों के अनुसार जीएसटी उपार्जित करती है।

(ङ) और (च): इस संबंध में सरकार द्वारा कानून लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*